<u>मण्डलायुक्त द्वारा किये जाने वाला पुनर्ग्रहण आदेश का प्रारूप</u>

<u>आकार पत्र 1</u>

आदेश

संख्या 43 /भू0व्य0 दिनांक 09/01/2026

शासनादेश संख्या–32/744/एक–1–2016–20(5)/2016 राजस्व अनुभाग–1, लखनऊ दिनांक 03.06.2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या 8 सन 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) तथा उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–688/एक–1– 2020–20(5)/2016 दिनांक 06.07.2020 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारो का प्रयोग करते हुए मै डा0 रूपेश कुमार, मण्डलायुक्त सहारनपुर संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक ग्राम पंचायतों/स्थानीय प्राधिकरणों के प्रबन्धन में निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्रमांक	तहसील	ग्राम का नाम	(धारा–77 में निहित भूमि) योजनान्तर्गत पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि का विवरण		योजनान्तर्गत पुनर्ग्रहण हेतु भूमि का कुल क्षेत्रफल	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	पुनर्ग्रहण किये जाने वाली भूमि का सर्किल रेट प्रति है0	पुनर्ग्रहण की जाने वाली भूमि का कुल मूल्य	भूमि की मालगुजारी (रू0 में)	पुनर्ग्रहित की जाने वाली भूमि की मालगुजारी का पंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया (मालगुजारी का 150 गुणा)	प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहित की जा रही है
			गाटा संख्या	रकबा (है0 में)							
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
01	सदर	घुनेहटी गाडा	300	0.0970	0.0970	श्रेणी 6(2) गोहर	1,35,00,000	13,09,500	2.40	360.00	आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के निवर्तन पर रखते हुए सहारनपुर विकास प्राधिकरण द्वारा मा0मुख्यमंत्री जी शहरी विस्तारीकरण/नये शहर प्रोत्साहन योजनान्तर्गत हेतु।
			433मि	0.2610	0.1305	श्रेणी 6(2) गोहर		17,61,750	3.22	483.00	
			297मि	0.0450	0.0450	श्रेणी 5(3) लेखपाल कक्ष		6,07,500	1.11	166.50	
			450	0.0200	0.0200	श्रेणी 6(1) गूल		2,70,000	0.49	73.50	
कुल योग			04 किता	0.423	0.2925			39,48,750	7.22	1083.00	
02	सदर	सैदपुरा	56	0.0410	0.0100	श्रेणी 6(2) चकरोड	1,16,00,000	1,16,000	0.25	37.50	
			62	0.0410	0.0410	श्रेणी 6(1) नाली		4,75,600	1.00	150.00	
			47	0.0360	0.0360	श्रेणी 6(2) गोहर		4,17,600	0.90	135.00	
			48	0.0100	0.0100	श्रेणी 6(1) नाली		1,16,000	0.25	37.50	
			49	0.0200	0.0200	श्रेणी 6(2) चकरोड		2,32,000	0.50	75.00	
कुल योग			05 किता	0.148	0.117			13,57,200	2.90	435.00	
03	सदर	मौ0पुर बहलोलपुर	14	0.0870	0.0870	श्रेणी 6(2) चकरोड	1,16,00,000	10,09,200	2.15	322.50	
			15	0.0460	0.0460	श्रेणी 6(1) गूल		5,33,600	1.13	169.50	
			21	0.0200	0.0100	श्रेणी 6(1) गूल		1,16,000	0.24	3.60	
			7	0.0850	0.0850	श्रेणी 6(2) चकरोड		9,86,000	2.09	313.50	
कुल योग			04 किता	0.238	0.228			26,44,800	5.61	809.10	
कुल महायोग			10 किता	0.809	0.6315			79,50,750	15.73	2327.00	

अतः उपर्युक्त शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के क्रम में आवास एवं शहरी नियोजन विभाग राज्य सरकार का वाणिज्य विभाग होने के कारण उपर्युक्त भूमि का पुनर्ग्रहण सःशुल्क किया जायेगा। उक्त भूमि का मूल्य जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार चार गुणा अंकन रूपये 3,18,03,000/–(तीन करोड़ अठ्ठारह लाख तीन हजार रुपये मात्र) एवं भूमि के मूल्य के अतिरिक्त मालगुजारी 150 गुने के बराबर पूंजीकृत मूल्य/वार्षिक किराया अंकन रूपये 2327.00/–(दो हजार तीन सौ सत्ताईस रूपये) होता है। पुनर्ग्रहित भूमि का मूल्य एवं पूंजीकृत मूल्य राजकोष में लेखा शीर्षक "0029–भूराजस्व–800–अन्य प्राप्तियां–08–मालिकाना राजस्व–0806–प्रकीर्ण प्राप्तियां" के नाम जमा कराया जायेगा। वार्षिक किराया प्रतिवर्ष देय होगा। उक्त आदेश का क्रियान्वयन उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण, सहारनपुर के द्वारा उपरोक्तानुसार धनराशि प्रदान करने के उपरान्त ही हो सकेगा।

(डॉ0 रूपेश कुमार)
मण्डलायुक्त,
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।

1— प्रमुख सचिव महोदय, राजस्व अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

2— प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

3— आयुक्त एवं सचिव महोदय, राजस्व परिषद्, अनुभाग–5, लखनऊ।

4— उपाध्यक्ष, सहारनपुर विकास प्राधिकरण को इस आशय से प्रेषित है कि उपरोक्त धनराशि को राजकोष में जमा करवाने तथा जमा धनराशि के चालान की प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु।

5— उपजिलाधिकारी/तहसीलदार सहारनपुर को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त आदेश की प्रति तहसील के सदृश्य स्थल/नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर तथा आदेश का अमलदारामद राजस्व अभिलेखों में कराकर नकल खतौनी की प्रति प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

6— गार्ड फाईल।

मण्डलायुक्त,
सहारनपुर मण्डल सहारनपुर।